Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment?

The amendment was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1 was added to the Bill.

(Amendment made)

Page 1, line 1,—

for "Thirteenth" *substitute* "Fourteenth" .(1)..

(Shrimati Chandrasekhar)

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Enatcing Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

Shrimati Chandrashekhar: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

14.10 hrs.

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION BILL—*Contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shrimati Tarkeshwari Sinha on the 21st January, 1963, namely:—

"That the Bill to provide for the establishment of a Corporation for granting medium and long term credit by way of refinance or otherwise, for the development of agriculture and for other matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Shri Venkatasubbaiah was on his legs.

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): Mr. Deputy-Speaker, the Agricultural Refinance Corporation has been introduced by the Government to provide credit facilities to the various apex banks, the central banks and the land mortgage banks that are functioning in this country. The main features of the corporation, it has been stated, are that the corporation will have an authorised capital of Rs. 25 crores, of which Rs. 5 crores will be issued on its establishment. 50 per cent of the issued capital will be allotted to the Reserve Bank, and 30 per cent will be subscribed by the State co-operative and land mortgage banks. The remaining 20 per cent will be allotted to the scheduled banks, the Life Insurance Corporation, etc. These are the main features of the corporation. In my last speech also, I advanced the argument or the contention and pleaded with the Government that the scope of the Bill should be enlarged. As a matter of fact, I pointed out was that several rural credit surveys have been undertaken in this country. The latest report clearly shows that in spite of all the assistance that was being given from the Government from time to time, the rural indebtedness has not diminished. As far as the Reserve Bank report of 1937 is concerned, it estimated the rural indebtedness to be to the tune of Rs. 1,800 crores. That survey was done in 1937. Also, the rural credit follow-up survey of 1956-57 by the Reserve Bank of India concludes in its general review report that the data shows that the indebtedness remains and that there was an increasing volume of debt

[Shri P. Venkatasubbaiah]

during the year covered by the investigation. So, that shows that even in 1956-57 the rural indebtedness was on the increase in spite of the best efforts that were made by the Government from time to time to provide credit to the farmers.

Other reports were also subsequently made. For example, there was the report entitled *Some Aspects of the Indian Economic Development* by Shri S. K. Bose. In that review, the author says that indebtedness is on the increase. What he remarks in that report is that it might be possible to hazard the opinion that the total indebtedness in terms of money stood in 1944 at a lower level than in 1949. But at a later date, forces were already in operation leading to an increase in the total amount of indebtedness. So, even the latest surveys conducted by various economists, and the various rural credit survey reports indicate that indebtedness is on the increase in the country.

We have been noting that in these two or three five year plans that have been undertaken by the Government in this country every effort has been made to give the agriculturists and the farmers sufficient help to step up food production, and every financial assistance is sought to be made by the Government, but in spite of that, we could see the sad spectacle of the indebtedness growing in the country. I wanted to impress on the House how far this Refinance Corporation is going to satisfy the aspirations and the needs of lakhs and lakhs of agriculturists in the country. So, I wanted that the scope of the Agricultural Refinance Corporation Bill should be enlarged so that the corporation may give satisfactory and substantial aid to the agriculturists.

In spite of the efforts that are being made by the Government to come to the aid of the agriculturists, we find that indebtedness is growing and increasing. It may be for the following reasons: the credit that is being given by the Government is not properly channelled in the sense that credit is being given to the farmers through various sources. The Ministry of Community Development and Panchayati Raj is there, the various credit societies and land mortgage banks have come up in the country. So, in most cases I feel that there is a duplication of work. People who are influential, who can afford to pull wires, who can exert pressure, are able to get credit from all the available sources with the result that the people who actually deserve credit, who do not have any other means to get credit, are completely deprived of it. The ultimate result is that in spite of spending large amounts, the credit is not being properly distributed. I want to impress on the Government that taking advantage of this corporation, they must come out with a plan for tackling all credit resources and facilities and see that credit is channelled through only one source, whatever that source might be, so that there will be an equitable distribution of credit facilities in the country. Unless that is done, any amount of effort is not going to bear fruit.

We have been seeing that large projects have been undertaken in the country—major, minor and medium irrigation. But, still, we find that more than a million acres of land, though there is an irrigation potential created, is not being brought under irrigation. So much of land is not yet being brought under reclamation. That is the position. Nearly one million acres of national wealth and national energy are going unutilised. Unless we make a serious and proper effort, unless the farmer is enthused and is given encouragement by way of proper assistance in time, the position will not improve. It will be a stupendous task for the Government to tackle this major problem. We are faced with the problem of food production in the country. Only this morning, the same question was raised,

namely, that the Third Plan envisages an increase of six per cent per annum of agricultural production. But we are not able to achieve that target, and many discussions are being held at the Planning Commission level and at State level. They are now trying to fix the responsibility or fix the blame or pinpoint where the blame lies. In spite of 13 to 14 years of our efforts. when we are not able to achieve this objective, I want to stress that the entire credit facilities should be channelled only through one source, whatever that source may be, and that source should be able to distribute the credit equitably to those who actually deserve it.

Now, the entire country is geared up for defence purposes. Every effort is being made for that, and great emphasis is being laid on agricultural production and industrial development. In that respect, such institutions as are striving and giving aid to the farmers in the great effort of agricultural production must be strengthened. In this connection, I may point out the central land moregage banks and the primary banks that are doing useful work; especially in Andhra Pradesh, are in the doldrums; they are facing a great financial crisis. They are prevented from going into the market and floating debentures and thus give aid to the farmers. That is the position as it stands. In the Central land mortgage bank in Andhra Pradesh. applications for disbursement of amounts to the tune of Rs. 4 crores are pending. The banks are faced with a financial crisis and so every effort has to be made to strengthen the hands of such land mortgage banks.

With these remarks, I would request the hon. Minister to see that in course of time, by framing rules or by asking for assistance of other institutions, the scope of the Bill is enlarged and that every possible assistance and credit, from whichever source it might be, is channelled through this corporation and the credit that is sought to be given by the Government or by the other agencies is given to the farmers, to the actual tillers of the soil who are in need of credit and who have taken up this stupendous task of increas in our agricultural production in the country.

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक का उद्देश्य कृषि के विकास और इस से सम्बन्धित अन्य मामलों के लिये पुनर्वित्त के द्वारा, या अन्य प्रकार से, मध्यम तथा दीर्घ-कालीन ऋण देने के लिये एक निगम की स्थापना करना है । इसलिये मैं इस बिल का दिल से समर्थन करता हूं ।

कृषि को अब तक एक उद्योग नहीं माना गया है और इसी लिये कृषि को जो ऋण मिलना चाहिये, वह अभी तक नहीं मिला है । योजना आयोग ने कृषि और खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी है और देश में कृषि-उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है । लेकिन कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के लिये जितने ऋणों की आवश्यकता है, वे उपलब्ध नहीं हैं । रूरल क्रेडिट सरवे से पता चलता है कि जहां तक कृषि के लिये ऋणों का प्रश्न है, केवल तीस प्रतिशत उपलब्ध हैं और सत्तर प्रतिशत की पूर्ति अभी नहीं हुई है । इस बात को ध्यान में रखते हुये ही लांग टर्म और मीडियम टर्म लोन देने के लिये इस निगम की स्थापना की जा रही है ।

कल राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिये यह बहुत ज़रूरी है कि खेती-बाड़ी का आधार मज़बूत हो । देश की रक्षा के लिये खेती-बाड़ी को बढ़ाना है और कृषि-उपज में वृद्धि के लिये कृषि को औद्योगिक आधार देना बहुत जरूरी है । इससे पता चलता है कि कृषि के विकास के लिये बहुत ज़ोर से

[श्री दे० शि० पाटिल]

कदम उठाए जा रहे हैं । कृषि के विकास में धन का एक प्रमुख भाग है, लेकिन आज धन बहुत कम मिल रहा है । आज स्थिति यह है कि जो ज़मीन जोतता है, जिस को टिलर आफ़ दि लैंड कहते हैं, उस को आज भी किसी तरीके से ऋण नहीं मिलता है । उदाहरण के लिये आप टेनन्ट्स और गवर्नमेंट के टेनन्ट्स को लीजिये, जिन की अपनी कोई ज़मीन नहीं है, जो किसी ज़मीन के मालिक नहीं हैं, जिन के पास कोई क्रेडिट नहीं है । उन को आज भी ऋण नहीं दिया जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में कृषि-उपज को बढ़ाने के लिये जो मेहनत करते हैं और कष्ट उठाते हैं, वे छोटे काश्तकार हैं, लेकिन उन के पास ज़मीन की ओनरशिप न होने से आज उन को ऋण नहीं मिलता है । जिन के पास ज़मीन है, जो कि ज़मीन के मालिक हैं, उन को भी क्रेडिट के सम्बन्ध में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ज़मीन को मार्गेज करने के बाद भी उन को काफ़ी तादाद में ऋण नहीं मिलता है ।

कम्यूनिटी डेवेलपमेंट और पंचायती राज के अन्तर्गत देश में कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है । उस के अधीन गांव गांव में कृषको से यह पूछा जा रहा है कि उन को कितने कुंओं की आवश्यकता है । मने अपनी कांस्टीट्युएन्सी में देखा है कि हर एक गांव में हर एक किसान अपने खेत में कुंआ खादने के लिये तैयार है । मैं अपनी कांस्टीट्युएन्सी में इस विषय में एक लिस्ट बना कर पंचायत , ज़िला परिषद् और कम्यूनिटी डेवेलपमेंट डि-पार्टमेंट के अफ़सरों के पास गया । उन्होंने बताया कि सब डिस्ट्रिक्ट्स के लिये केवल ६८० कुंओं के लिये ऋण देने की व्यवस्था है, जब कि काश्तकारो की डिमांड ३,६१८ कुंओं की है । इस से प्रकट होता है कि कितनी कम व्यवस्था की गई है । यह निगम से यह मांग पूरी पूरी होनी चाहिये ।

आज कृषक काम करने के लिये तैयार है उत्पादन बढ़ाने के लिये तैयार है, खेती के आधुनिक तरीके प्रयोग में ला कर, ज्यादा काश्तकारी करने के लिये तैयार है, लेकिन आज उसको कोई सहायता नहीं मिलती है । मैं चाहूंगा कि इस निगम के द्वारा इस देश के किसानों को इस सम्बन्ध में कुछ सुविधा दी जाये । इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि एनिमल हस्वैंड्री, पोल्ट्री फ़ार्मिंग और स्टाक-ब्रीडिंग आदि के लिये भी पैसा दिया जायगा । मैं प्रार्थना करूंगा कि आज काश्तकार के लिये जो पैसे की कमी है, उस की पूर्ति करने के लिये इस कार्पोरेशन का प्रथम उपयोग किया जाये ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के लिये जो पैसा दिया जाता है, उस को देने के सम्बन्ध में बेसिक एपरोच को बदलना चाहिये । इस विधेयक का उद्देश्य एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट है, लेकिन इस विधेयक में जो नाम दिये गए हैं, उन से एक भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है । उदाहरण के लिये इस में लैंड मार्गेज बैंक का उल्लेख किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि इस नाम से एक साहूकार की एपरोच प्रकट होती है । काश्तकार की ज़मीन मार्गेज करना यह बाहुबल की प्रवृत्ति का द्योतक है अगर इस बिल का उद्देश्य एग्रीकल्चर का डेवेलपमेंट है, तो इस में उस के अनुसार ही शब्द प्रयुक्त किये जाने चाहिये । इसलिये "लैंड मार्गेज बैंक" के स्थान पर "लैंड डेवेलपमेंट बैंक" का नाम रखा जाए । इस सुझाव को मानने से इस निगम और इन बकों के पूरे वर्किंग में सुधार होगा ।

मैं ने देखा कि दिल्ली के आस-पास एक स्कीम बनाई गई थी, जिस के अन्तर्गत

छोटे काश्तकारों को पैसा देने का इन्तजाम किया गया था। श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में यह स्कीम बनाई गई थी और उस के अनुसार छोटे छोटे काश्तकारों को उनकी हैसियत के बजाए उनकी गर्ज़ देख कर ऋण दिये गये थे। उस के परिणामस्वरूप उत्पादन काफ़ी बढ़ा। जहां तक रीकवरी का सम्बन्ध है, रीकवरी का परसेंटज ९८ था। आम तौर पर यह माना जाता है कि जिस के पास क्रेडिट है, अगर उस को पैसा दिया जाये, तो वह वापस आता है, लेकिन इस उदाहरण से प्रकट है कि जिन लोगों के पास क्रेडिट नहीं है, जो छोटे छोटे काश्तकार हैं, जिन के पास अपनी ज़मीन नहीं है, अगर उन को भी पैसा दिया जाये, तो वह पैसा भी वापस आ सकता है। ये छोटे छोटे काश्तकार ही देश में अन्न का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसलिये गवर्नमेंट को उन लोगों को पर्याप्त ऋण देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

लैंड मार्गेज बैंक्स में काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। आज भी काश्तकारों को नौ टका सैकड़ा इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि काश्तकारों को कम से कम इन्ट्रेस्ट पर ऋण देने की व्यवस्था की जाए।

इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri V. B. Gandhi (Bombay Central South): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am really surprised and even a little disappointed to see that there should be a general tone of criticism of this Bill. This is a Bill which in my view deserves whole-hearted acceptance from all those who have the agricultural progress of this country at heart.

I will say, however, that this is a Bill which requires an understanding of some of the technical processes of re-financing. This Bill seeks to establish a corporation for granting medium and long-term credit by way of re-finance for the development of agriculture. We are aiming at establishing a statutory body, a statutory body which will undertake re-financing for the purpose of agricultural development. In the financial facilities that we can make available to agriculture in this country there definitely are a number of gaps, serious gaps, and there has got to be done something if those gaps have to be closed.

This field of agricultural development presents a number of problems, financial and in other respects. When I say that we have these problems in the sphere of agricultural development, I do not mean that we have no problems in the field of industry. I am only saying that, comparatively speaking, our position in respect of supply of credit facilities to industries is slightly easier and the situation in the industrial field in terms of finance is perhaps less desperate. We must therefore all support this proposal or, for that matter, any proposal that will seek to take urgent steps to provide for our agriculture adequate finance, and finance of the right type.

We might perhaps try to see or have a brief review of what is being done in the field of industrial finance as that will provide us with a comparison of what actually obtains in the field of finance for agriculture. In the field of industrial finance, as I said, we are, or we can afford to feel, a little easy because there have been a number of institutions of various patterns which have been doing useful work in providing finance for industry. Firstly, I would mention the Industrial Finance Corporation which since 1948 has been doing very useful work and since its inception has actually approved loans for a total of Rs. 130·3 crores of which something like Rs. 68·1 crores were disbursed. This Industrial Finance Corporation is also empowered to borrow in foreign currencies and its share in

[Shri V. B. Gandhi]

this field of borrowings in foreign currency has lately increased appreciably. The next institution in this field of industrial finance to which I would refer is the Industrial Credit and Investment Corporation. This Corporation also has sanctioned a total assistance of something like Rs. 13:8 crores in 1961, and since its inception in 1955 it has approved loans and advances to the extent of Rs. 42:7 crores of which something like Rs. 18:4 crores was actually disbursed. Then I would briefly say just a word about the National Industrial Development Corporation which does some very valuable work and gives assistance to industries in the field of rehabilitation and such other cognate fields. Finally and lastly I would refer to the Re-finance Corporation for Industry. Now, that exactly is where I would like to emphasise that since a re-finance corporation for industry has been in existence and has been functioning very usefully since 1958, it was only to be expected that a re-finance corporation for agriculture would follow. And I am very glad that it is here before this House today and I congratulate the Minister on bringing it before this House. This Corporation also, during its four years of functioning, has sanctioned loans and advances of something like Rs. 20·5 crores and has actually disbursed an amount of Rs. 10·1 crores.

What I am trying to really bring out is that something parallel to what has been possible and available for industrial finance has not been available for agricultural finance, and agriculture is still without a re-finance corporation—I mean, that is, until we have actually passed this Bill. An agricultural finance corporation is the one instrument that is going to increase the potential strength of the re-financing agency something like tenfold or even a hundredfold of what it can otherwise be without the help of re-finance operations.

When I say that not much has been done in the field of finance for agriculture I do not want to forget that quite some valuable work has been done and quite some valuable experience has been gained in the sphere of co-operative endeavour. The record of the Reserve Bank of India in this respect has just been magnificent. The Reserve Bank of India, also, in its own way, has been trying to continue its interest and effort in agricultural finance. We know that the one way in which it has been steadily increasing its usefulness to agricultural finance is by the loans it makes at concessional rates for financing seasonal operations. I think last year the loans came up to almost a little over Rs. 100 crores. Various other activities which are designed to help agricultural credit have also been undertaken and encouraged by the Reserve Bank.

But this certainly is not enough considering the magnitude of the need and the difficulty of the problem we have before us. Through this Refinance Corporation we hope to make up for the inadequacy of finance—that is one thing—and we also hope to provide the right type of finance required—that is, the long-term and flexible type of finance that is required. This flexibility to which I refer is the flexibility that will come through the mechanism and operation of refinance. Refinance, Sir, in its essence, is a finance of the residual type. The Refinance Corporation can only be a residual lender. It very rarely can be a primary lender, in very very exceptional circumstances. In the context of a refinancing facility being available what usually happens is that the borrower very rarely approaches, in the first instance, the Refinance Corporation. He begins his efforts at the co-operative level or at the land mortgage bank level, or the commercial bank or the scheduled

bank if you like it, especially if these are members of the Corporation, that is to say, if they are shareholders of the Corporation. It is at that level that the borrower begins his approach. Anyway, this refinancing facility that we are providing is a facility that can come from specialised institutions and it is the only way that has been proved to be workable in the cases where long-term credit is necessary.

Now, Sir, before I close down I will just refer to one more point, and it is that we should without any hesitation look upon this Bill as an acceptable first step. There will have to be other steps to follow, and it is not just right to say that, well, this Corporation has only an authorised capital of Rs. 5 crores and what can it do to help a tremendous and enormous problem like the problem of our agricultural development. But, it is not Rs. 5 crores, it is much more than Rs. 5 crores that is behind these Rs. 5 crores. There are powers given to this Corporation to augment its resources. These powers are not anything of the unusual kind, they are of the usual kind. For instance, this Refinance Corporation can augment its resources by strengthening the capital base in the first instance. It can always have a larger capital. It can, secondly, augment its resources by issuing bonds and debentures. In can augment its resources by accepting deposits of certain kinds. It can augments its resources by borrowing from the Reserve Bank in special cases. It is also possible for this Corporation to borrow in foreign currency, and there is a lot that can be done very usefully in the direction of using funds available under P.L. 480 as the other Refinance Corporation for industry has been doing with such great benefit. Finally, it can also borrow when necessary from the Central Government. Actually, under the provisions of this Bill, it is very clear that this Corporation, even with its capital initially of Rs. 5 crores, can do financing well up to nearly Rs. 100 crores, and if and when the capital is finally increased, in view of the increasing needs, to Rs. 25 crores, which is the authorised limit, the possibility made available to this Refinance Corporation is that it can finance agricultural development to the tune of almost Rs. 500 crores.

I, finally, Sir, request that the House will accept this as a first step with other steps to follow, as a progressive step, in the interests of agriculture and refinance.

14·50 hrs.

RE: COMMITTEE TO INVESTIGATE INTO THE CONDUCT OF CERTAIN MEMBERS DURING PRESIDENT'S ADDRESS

Mr. Deputy-Speaker: Before I call on the next Member, I would like to inform the House that Shrimati Renu Chakravartty pleads her inability to serve on the Committee as asked by the Speaker this morning, and she has resigned. The Speaker has been pleased to nominate Shri H. N. Mukerjee in her place.

श्री कछवाय (देवास) उपाध्यक्ष महोदय, म समझता हूं कि इस समय कोरम परा नहीं है ।

Mr. Deputy-Speaker: Are you challenging the quorum?

श्री कछवाय : जी हां ।

Mr. Deputy-Speaker: All right. Let the bell be rung. Yes, now there is quorum. Shri B. N. Mandal.

14.52 hrs.

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION BILL—*contd.*

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल हाउस के सामने पेश किया गया है में उसके मंशा से तो सहमत हूं । आज इस देश के अन्दर

[श्री भू० ना० मण्डल]

इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि खेती की पैदावार बढ़ायी जाए । लेकिन इस सम्बन्ध में काम करने के लिये जो कारवाई सरकार कर रही है, वह मैं समझता हूं कि ठीक रास्ते पर नहीं चल रही है ।

जो यह बिल लाया गया है इसके अनुसार एक नया इंस्टीट्यूशन बना कर खड़ा किया जाएगा, जिसका आफिस होगा, जिसके मेम्बर होंगे और उस पर अलग से खर्चा करना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि आज जो लैंड मारगेज बैंक्स, कोआपरेटिव या प्राइमरी सोसाइटीज और दूसरे क्रेडिट सोसाइटीज हैं, उनके रहते हुए इस इंस्टीट्यूटशन को बनाने की जरूरत नहीं थी । यह बात सही है कि इसका मकसद यही है कि जहां रुपये की ज्यादा जरूरत होगी वहां उसको यह रिफ़ाइनेन्स करेगा, लेकिन यह काम जो मौजूदा क्रैडिट इंस्टीट्यूशन्स हैं उनके द्वारा भी किया जा सकता था । इस काम के लिये अलग से एक इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं थी ।

आज सेंट्रल गवर्नमेंट सारा काम कर रही है और जो रुपये की जरूरत होती है उसका भी वह इन्तिजाम करती है, लेकिन उस काम के लिये नया इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी, जो मौजूदा इंस्टीट्यूशन्स हैं उनको रुपया दे कर यह काम करवाया जा सकता था ऐसा करने से जो यह अनावश्यक मल्टीप्लिकेशन होगा वह बच जाएगा और लोगों की जो खेती के लिये या उससे सम्बन्धित कामों को करने के लिये जो रुपये की जरूरत है वह भी पूरी हो जाएगी ।

इसके अलावा इस बिल में कुछ ऐसे दोष हैं जो कि आजकल के लेजिस्लेशन में पाए जाते हैं । एक दोष की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । आज सरकार के जो काम करने वाले आदमी रहते हैं उनके लिये दिनों दिन नए नए प्रिविलेज दिए जाते हैं । और इस बिल के ज़रिये भी ऐसा ही किया गया है । मैं आपका ध्यान इस बिल की धारा ३८, ३९ तथा ४० की ओर दिलाना चाहता हूं । धारा ३८ में कहा गया है :

"(2) A director shall not be responsible for any other director or for any officer or other employee of the Corporation or for any loss or expenses resulting to the Corporation from the insufficiency or deficiency of value of, or title to, any property or security acquired or taken on behalf of the Corporation or the insolvency or wrongful act of any debtor or any person under obligation to the Corporation or anything done in good faith in the execution of the duties of his office in relation thereto."

इसका मतलब यह है कि जो कोई डाइरेक्टर है अगर वह अपनी जिम्मेवारी पूरी न भी करे तो उसे कसूरवार नहीं ठहराया जा सकेगा । यह प्रिविलेज इसमें दिया गया है । मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत बात है ।

धारा ३९ में यह दिया गया है :

"(1) No act or proceeding of the Board or of any committee of the Corporation shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of, the Board or committee or on the ground of any director or member of any committee having acted or taken part in any proceeding in contravention of section 18."

सेक्शन १८ में कहा गया है कि जो कोई मेम्बर हो अगर उसका कोई फाइनेन्शल इंटरेस्ट उसमें हो तो उसको उसमें भाग नहीं लेना चाहिये और उसको यह इंटीमेट कर देना

चाहिये । लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर किसी मेम्बर ने इस अवस्था में पार्ट लिया है तो यह कोई डिफेक्ट नहीं माना जाएगा । यह भी इस बिल में एक गलत प्रावीजन है ।

आगे धारा ३९ में कहा गया है :

"(2) No act done by any person acting in good faith as a director of the Board or as a member of a committee of the Corporation shall be deemed to be invalid merely on the ground that he was disqualified to be a director or that there was any other defect in his appointment."

इसी तरह से सेक्शन ४० में कहा गया है :

"No suit or other legal proceeding shall lie against the Corporation or any director or any officer of the Corporation or any other person authorised by the Corporation to discharge any functions under this Act for any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act."

जो इस देश का जनरल ला है उसके मातहत इस देश में जो गवर्नमेंट का काम करने वाले आदमी हैं या दीगर आदमी हैं उन सब को रहना चाहिये । लेकिन इस तरह का प्रावीजन दे कर सरकारी काम करने वालों को छूट दे दी जाती है । इसका नतीजा यह होता है कि वे ठीक से काम नहीं करते । इसलिये मैं समझता हूं कि इस कानून में इस तरह के प्रावीजन नहीं रहने चाहिये ।

यों तो मैं यह समझता हूं कि यह जो बिल लाया गया है इसकी कोई जरुरत नहीं थी । जो मौजूदा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन्स हैं उनके जरिए ही यह सारा काम हो सकता था यदि उनको और रुपया दिया जाता ताकि वे बड़े बड़े कामों के लिये भी लोन एडवांस कर सकें । इस तरह का इन्तिजाम सरकार को करना चाहिये ताकि इन इंस्टीट्यूशन्स की डुपलिसिटी, टूपलिसिटी और मल्टीप्लिसिटी न हो ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चुरल फ़ाइनेंस बिल का, जो अभी माननीय मंत्राणी जी ने उपस्थित किया, मैं बड़ी प्रसन्नता से समर्थन करता हूं । प्रसन्नता का विषय यह है कि मैंने आज से लगभग आठ वर्ष पहले इस सदन में एक प्रस्ताव रखा था जिसका आशय यह था कि खेती के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिये एक कारपोरेशन की स्थापना की जाए । उस समय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित कमेटी आफ डाइरेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी थी और सरकार उस पर विचार कर रही थी । उस रिपोर्ट में खेती के सम्बन्ध में वित्त व्यवस्था करने के लिये और सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने के लिये, जिस के द्वारा खेती के लिये वित्त व्यवस्था की जा सकती थी, बहुत से सुझाव दिये गये थे । और सरकार उन सुझावों पर विचार कर रही थी । और ऐसा समझा जाता था कि इस कमेटी की मुख्य मुख्य सिफारिशों को जब सरकार स्वीकार कर लेगी और उन को कार्यान्वित करेगी तो खेती के लिये जो वित्त की सुविधा आवश्यक हैं वे उपलब्ध हो जाएंगी । उस समय के मंत्री श्री अरुण चन्द्र गुहा ने आश्वासन दिया था कि खेती के लिए जो वित की आवश्यकता इस देश में है उस को पूरा करने के लिए सरकार रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया, स्टेट बैंक आफ़ इंडिया और उसके साथ साथ जितनी सहकारी समितियां हैं, सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक्स हैं या एपैक्स बैंक्स हैं, उन के ही जरिए से सब की व्यवस्था की जायेगी । इस आश्वासन पर मैं ने अपने उस प्रस्ताव को

[श्री श्रीनारायण दास]

वापिस लिया था। मुझे इस बात की खुशी है कि आज पूरे तौर पर भले ही न सही लेकिन लैंड मॉर्टगेज बैंक्स और स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स को सहायता देने के लिये यह रिफ़ाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना की जा रही है। मैं समझता हूं कि जहां तक लम्बे अर्से के लिए कर्ज देने की आवश्यकता है वह कुछ हद तक पूरी हो जायेगी। इस वास्ते मैं इस बिल को हृदय से समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही इस अवसर पर मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से, कुछ बात बताने की कोशिश भी करूंगा।

1.5 hrs.

आज लगभग दस वर्ष के करीब हो गये जब सहकार आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, सरकार के दूसरे दूसरे मुहकमों ने, कम्युनिटी डेवलपमेंट के मंत्रालय ने या और किसी किस मंत्रालय ने इस के लिए बहुत प्रकार से जोर दिया है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है और मैं दुखपूर्वक यह बतलाना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया की तरफ़ से हर साल रूरल क्रेडिट फ़ौलो-अप-सर्वे हुआ करता है और उस सर्वे में वह चुने हुए जिलों को लेते हैं और चुने हुए जिलों को लेकर एक परिणाम निकालते हैं कि अभी वित्त की क्या व्यवस्था देश में हो पाई है। मैं आप की आज्ञा से यह जो रूरल क्रेडिट फ़ौलो-अप-सर्वे १९५९-६० का है, और जो कि अभी १९६२ में प्रकाशित किया गया है उसके चैप्टर १३ में जो कि २०६ पेज से शुरू होता है उस में कहा गया है कि अभी ९ जिलों का जो सर्वेक्षण किया गया, उन ९ जिलों में खेती के लिये वित्त की व्यवस्था कोआपरेटिव के जरिए की गई, वह उन ९ जिलों में से सिर्फ दो जिलों में में कुछ कारगर साबित हुई बाकी और सब जिलों में जो वित्त की आवश्यकता हुई उस में सिर्फ एक जिले में तो ११ परसैंट और दूसरे ज़िले में ८ परसैंट तक है। उस में कहा गया है :—

> "Bulk of the credit requirements was met by recourse to money-lenders except in Bilaspur; the agriculturist moneylenders predominated over their profesisonal counterparts in all the districts except Barmer."

यह बतलाता है कि सरकार के प्रयत्न करने के बावजूद भी अभी भी खेती के लिये जो वित्त की आवश्यकता है उस की पूर्ति कोआपरेटिव सोसाइटीज़ या रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया द्वारा दिये गये कर्जों से नहीं हो पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं एक बात की तरफ़ जिक्र करना चाहूंगा। इस सर्वेक्षण से इस परिणाम पर पहुंचा गया है कि वित्त की व्यवस्था में जो सूद की दर ली गई वह औसत सूद की दर साढ़े १३ से लेकर साढ़े १४ परसैंट तक प्रतिवर्ष के हिसाब से ली गई गई। अर्थात् साढ़े १३ परसैंट से लेकर साढ़े १४ परसैंट प्रतिवर्ष सूद की दर से किसानों को, कर्ज दिये गये लेकिन उन को मालूम होना चाहिये कि विभिन्न ज़िलों में तो कहीं कहीं पर ४० परसैंट तक सूद अपनी खेती के लिए वित्त की व्यवस्था करने के वास्ते देना पड़ा।

अभी लम्बी अवधि के लिए कर्ज देने की व्यवस्था करने का जो इस बिल का मुख्य उद्देश्य है उस के सम्बन्ध में इस सर्वेक्षण से पता चला है। और इस में लौंग टर्म क्रेडिट के ऊपर यह लिखा है :—

> "With regard to long-term credit, co-operatives had not made sizeable efforts, as will be evident from the fact that 4 out of the 9 districts did not even have land mortgage banks and even in those which had them the number of families indebted to the banks did not exceed even 3 per cent. Though in some districts attempts were being

made to reorient the loan policy to make it more production-oriented, the achievements, except, perhaps, in Krishna, were negligible. Undue delay continued to be the characteristic feature of the loan procedure."

मैंने इस बात की तरफ सदन का ध्यान इसलिये खींचा है कि वित्त की व्यवस्था जो कि हमारे देश के अंदर अभी खेती के लिए है वह हर प्रकार के प्रयत्न के बावजूद भी बिलकुल नगण्य है। अभी भी एक अर्थ शास्त्री ने शायद अनुमान लगाया है कि हमारे देश में खेती के लिए जो वित्त की जरूरत है, रुपये की जरूरत है, तीनों प्रकार की सहायता को यदि जोड़ा जाय अर्थात् थोड़ी अवधि के लिए, बीच वाली अवधि के लिए या लम्बी अवधि के लिए, तीनों को अगर जोड़ा जाय तो वह लगभग १५०० करोड़ रुपय के क़रीब जाकर पड़ती है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो यह बताया गया है, कि पहली योजना की अंतिम अवधि तक सिर्फ १३ करोड़ पये की व्यवस्था की गई थी, दूसरी योजना के अंत तक २०० करोड़ रुपये तक की व्यवस्था की गई थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना में बतलाया गया है कि आशा की जाती है कि यह रक़म बढ़ कर लगभग ५५० करोड़ तक हो जायेगी। लम्बी अवधि का जहां तक सवाल है उस में बतलाया है कि लम्बी अवधि का जो ऋण है वह तीसरी योजना के अंतिम समय तक १५० करोड़ तक जायगा। न सब आंकड़ों से पता चलता है कि बावजूद इस बात के कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है लेकिन हिन्दुस्तान में खेती की प्रधानता और खेती की उपज बढ़ाने के लिए जिस प्रकार के वित्त की व्यवस्था, आवश्यक है, मैं समझता हूं कि अभी तक न सरकार के सहकार आंदोलन के द्वारा, न सरकार की तक़ावी लोन के द्वारा और न रिजर्व बैंक बैंक द्वारा दिये गये कर्जों से अभी तक कारगर हो पायी है। इसलिए मैं आज सदन का ध्यान उधर खींचते हुए मंत्रिणी महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां वे इस विधेयक को पास करा कर एक निगम की स्थापना करने जा रहे हैं, उस से इस बिल का उद्देश्य आंशिक रूप में भी पूरा हो सकता है। बावजूद इस बात के कि उसका एक आफ़िस बम्बई में होगा ताहम उसका सम्पर्क केवल स्टेट बैंक, कोआपरेटिव बैंक या लैंड मार्टगेज बैंक से रहेगा। किसानों तक यह पहुंचेंगे और किसानों को आसानी से और कम सूद की दर पर पैसा मिल सकेगा इस बारे में संदेह किया जा सकता है। इस बारे में अन्य माननीय सदस्यों ने भी संदेह उपस्थित किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी इस निगम की स्थापना से बड़े बड़े प्लांटेशंस, खेती के विकास का काम करने वाले जिस में कि काफ़ी रुपये की विभिन्न प्रान्तों में जरूरत है, उस रुपये की कमी की कुछ पूर्ति हो सकेगी।

इस समय में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। यह जो रिफाइनेंस कारपोरेशन की भावना आई है यह कहां से आई, मुझे पता नहीं लगता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर इस बात का जिक्र किया गया है कि गवर्नमेंट रिजर्व बैंक आफ इंडिया के साथ परामर्श करके खेती के विकास के लिये निगम की स्थापना के बारे में सोच रही है। ऐसा समझा जाता था कि इस निगम का काम केवल रिफाइनेंस करना नहीं होगा इस कारपोरेशन का काम यह भी होगा कि वह जहां जरूरत समझे सीधे कोआपरेटिव सोसाइटी को चाहे व्यक्ति विशेष को अगर उसको कर्ज लेने का अधिकार है और उसको कर्ज चुकाने की शक्ति है तो ऐसे लोगों को भी कर्ज देने की व्यवस्था की जायेगी। न मालूम क्या बात है और इसे मंत्रिणी महोदया बतलायेंगी कि प्लानिंग कमिशन का जब यह विचार उत्पन्न हुआ था कि एक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना की जाय तो आज क्यों एक सीमित औबजैक्टिव के साथ इस निगम की स्थापना की जा रही है ? मैं

[श्री श्रीनारायण दास]

समझता हूं कि यह अच्छा होता यदि इसका नाम रिफाइनेंस कारपोरेशन हटा कर फाइनेंस कारपोरेशन रक्खा जाता और उसका काम और व्यापक किया जाता।

मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा कि इसकी ऐसी शाखायें होनी चाहियें जैसी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन की दो, तीन शाखायें काम करती हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन की एक मुख्य ब्रांच मद्रास अ कलकत्ता में चल रही है। मद्रास और कलकत्ते में जो शाखायें चल रही हैं वे उद्योग, धंधों में काम करने के लिये वित्त की व्यवस्था करती हैं। मैं चाहता हूं कि इसका नाम एग्रीक्लचरल रिफाइनेंस कारपोरेशन बदल कर एग्रीक्लचरल डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन रक्खा जाय और इसका स्टैचूट में कानून के अन्दर इस बात का जिक्र आना चाहिये कि प्रमुख स्थानों में उसकी दो, तीन शाखायें रहेगीं जोकि खेती की व्यवस्था के लिये चाहे वह सहकारी समिति की सहायता से हो चाहे सेंट्रल कोआ-परेटिव बैंक की सहायता से हो और चाहे लैंड मोर्टगेज बैंक की सहायता से हो, हर प्रकार की व्यवस्था करेगी।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जैसा कि मैंने अभी कहा मुझे खुशी है कि इस तरह का विधेयक हाउस के सामने लाया गया। मैं आशा करता हूं कि हिन्दुस्तान में खेती की उन्नति के लिये वित्त की जो आवश्यकता है और जैसा कि अन्दाजा लगाया गया है कि लगभग १५०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की जरूरत है, उसकी पूर्ति करने के लिये अगर सरकार सचमुच में चाहती है कि खेती का उत्पादन बढ़े और जैस जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे देश में खेती का उत्पादन बढ़ कर लोगों को पौष्टिक भोजन देने का इंतजाम किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह जो छोटा कदम उठाया जा रहा है इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार और साथ ही साथ रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया और जो दूसरी सहकारी संस्थायें हैं उन सब को मिल कर ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिससे अगर पूरी तौर पर नहीं तो कम से कम तीन चौथाई वित्त की व्यवस्था तो हो सके। आज भी किसान महाजनों के पंजे में पड़ा हुआ है और उसको बहुत ज्यादा सूद देना पड़ता है। आज किसान को इस झंझट से मुक्त करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि वह कृषि के लिये वित्त की व्यवस्था करते हुए देश के अभाव की पूर्ति कर सके और देश का धन बढ़ाने में उसका जो आधा हिस्सा है, उसको कायम रख सके। माननीय उपमंत्रिणी महोदया को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह इस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत करें। मैं आशा करता हूं कि इन सब सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायगा और आगे चल कर यदि आवश्य-कता हुई, तो एक एग्रीक्लचर डेवेलपमेंट फिनांस कारपोरेशन की स्थापना की जायेगी, जिस की शाखायें-प्रशाखायें हर एक प्रदेश में हों, जो सहकारी संस्थाओं को कर्ज देकर किसानों को अन्न उपजाने में मदद दे सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri R. G. Dubey (Bijapur North): Mr. Deputy-Speaker, this is a very welcome measure and I extend my very sincere support with pleasure to the Finance Ministry. However, I would like to make one or two suggestions.

I see in the Note on clause 2 that the purpose of this measure is to re-finance the State Land Mortgage Banks, Scheduled Banks and other institutions so that the development of agriculture could be helped. I would like to suggest that among other things, reclamation of land should be specified as one of the objectives. I need not dwell at length on this aspect, because, to my mind, the development of agriculture mostly depends upon

the development of land which means, in other words, reclamation of land. There are large tracts in the country where either the soil suffers from salinity or the growth of weeds. To my mind, the Corporation which we visualise at this level, need not consider about dairy farming and other things. The State Governments could very well look after these things. The principal problem which the Centre has to consider seriously and provide adequate funds is land reclamation and soil conservation. I would actually suggest that land reclamation might be one of the special objectives, special purposes for which funds might be advanced.

Then, I take up direct assistance to co-operative institutions in the State. I have received representation from Mysore Land Mortgage Banks and Apex Co-operative Societies that that principle would not be very desirable. I do not know why we should take the responsibility of advancing loans to co-operative societies in this vast country. That does not seem to be very logical to me. I have an impression that somehow we are proceeding in these matters in a rather piecemeal way. Sometimes, the Community Development Ministry comes with some measure; then the Planning Ministry and then the Finance Ministry. What I feel is that there should be a proper approach towards what we may call a socialist pattern of society. Agricultural development and production is one ~~aspect. Then~~, there is marketing. Transport is another aspect. I think the time has come when we should have a connected or integrated approach. We should have such a Corporation as a Central organisation whereby all these functions could be brought under one direction. There are so many corporations. I wonder how many of us know whether all these corporations are functioning. I request the Finance Ministry to consider whether they could take an integrated view and introduce a proper measure.

With these words, I support this measure.

श्री फ० गो० सेन (पूर्निया) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, इस बिल में उसके साथ कई बातें जोड़ दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि "एग्रीकल्टर इन्क्लूड्ज डेरी फार्मिन्ग, पिसीकल्टर, पोल्ट्री फार्मिंग एंड स्टाक-ब्रीडिंग"। मुझे लगता है कि जब भी खेती के बारे में कोई भी विधेयक इस सदन के सामने लाया जाता है, तो माननीय सदस्य उस को बहुत सन्देहात्मक दृष्टि से देखते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी तक जो भी काम खेती की उपज को बढ़ाने के लिये या किसान की मदद के लिये किया गया है, वह नाकाफी साबित हुआ है। माननीय सदस्य, श्री श्रीनारायण दास, ने भी यह बात कही और उन्होंने रूरल क्रेडिट सरवे की रिपोर्ट का जिक्र किया। यह देखा गया है कि खेती के मामले में सरकार को जितनी मदद देनी चाहिये, वह अभी तक नहीं दी जा सकी है।

जहां तक इस एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कारपोरेशन बिल का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य श्री सिंहासन सिंह ने इस पर गौर फरमाया था। इसमें फिलहाल ५ करोड़ रुपये देने का सवाल है। इस का एक बड़ा आफिस बनेगा, इस की ब्रांचिज होंगी, स्टेट डिपार्टमेंट्स होंगे और कोआपरेटिव्स होंगे। इस सारे के सारे महकमे के बनने के बाद एग्रीकल्चर के पास क्या पहुंचेगा, इसमें बहुत सन्देह है। यह भी कहा गया है कि इस कारपोरेशन के द्वारा खेती के काम के लिये ज्यादा रुपया पहुंचाया जा सकेगा। मैं तो समझता हूं कि हमारे खेतिहर भाई वहां तक पहुंच ही नहीं पायेंगे और जो वहां पहुंचेंगे भी, तब तक उन के जूते की तल्ली घिस जायेगी और वे हार मान कर बैठ जायेंगे।

इस समय स्थिति क्या है? जहां तक एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी का सम्बन्ध है, अगर पेमेन्ट देना फेल हो गया, तो सारे का सारा काम ठप्प हो गया, पेमेन्ट बन्द हो गया

[श्री फ० गो० सेन]

और फिर मालूम नहीं कि खेती कैसे हो ? फिनांस मिनिस्टर साहब को देखना चाहिये कि खेती का महकमा सब से ज्यादा महत्व रखता है । सरकार की ओर से कहा जाता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के द्वारा डीसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर हो । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मनी इज पावर । इसलिये मनी को भी डीसेन्ट्रेलाइज करना चाहिये । अगर सरकार सही मायनों में डीसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर करना चाहती है, तो डीसेन्ट्रेलाइजेशन आफ मनी हो । तभी जा कर डीसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर होगा और छोटे दायरे में लीडरशिप भी कायम होगी ।

सरकार ने प्राइज बांड निकाले हैं । जब पेपर्स में बड़े बड़े अक्षरों में आता है कि फलां पियन को इतना इनाम मिला, इतने लोगों को इतने इनाम मिले, तो मुझे बड़ी खुशी होती है । अगर पांच रुपये का एक प्राइज बांड लेने पर किसी व्यक्ति को साढ़े सात हजार रुपये-- और नई स्कीम के अन्तर्गत पन्द्रह हजार रुपये-- मिलते हैं, तो यह बड़ी अच्छी बात है । इस से वह सम्भल जायेगा । आखिर सम्भलने का जरिया रुपया है । सरकार कृषक को रुपया दे, तो वह सम्भल जायेगा । आज रुपया देने के बारे में जितनी बन्दिशें हैं, उन के मारे वह दबा चला जा रहा है ।

हर साल सरकार एक करोड़ रुपया एग्रीकलचर को-आपरेटिव्ज में लगा दे,। घी कहां गिरा ? दाल में । जितनी भी एग्रीकलचर को-आपरेटिव सोसायटीज हैं, उन में पांच पांच हजार रुपये के प्राइज बांड दिये जायें, ताकि दो हजार गांवों, एग्रीकलचर को० आपरेटिव्ज, का पांच पांच हजार रुपये का कैपिटल बन जाये । यह लाटरी के जरिये हो जाये, तो उन को पांच पांच हजार रुपये का कैपिटल बन जायेगा । अगर पांच हजार रुपये का केपिटल बन जायेगा, तो वे पचास हजार रुपये का क्रेडिट भी लेने के लिये तैयार हो जायेंगे । तब सरकार उन को क्रेडिट दे । अगर सरकार एग्रीकलचरल सैक्टर को देने के लिये तैयार हैं । मान लिया कि उसने दिया भी, तो वह अप्पर सैक्टर को दिया जायेगा और लोअर सैक्टर तो अनटच्ड रह जायेगा । एग्रीकल्चरिस्टस में भी ऐसे लोग हैं जो कि धनी हैं और वे लोग कर्ज दे सकते हैं । मगर जो बेचारे, दो चार, पांच या दस एकड़ जोतने वाले हैं, वे लोग वैसे ही रह जाते हैं । न उन को ब्लाक से कोई मदद मिलती है और न किसी अन्य साधन से । वे बेचारे अपनी क्राप के ऊपर ही फंसा लेते हैं और उस को सस्ते दामों पर बेच देते हैं । इसी में वे लोग रहते हैं । नुक्सान भी होता है तो कुछ कर नहीं सकते हैं । अगर वे यह न करें तो उन के सामने सवाल पैदा होता है कि खायें क्या । यह जो बेकारी का सवाल है यह भी भयंकर सवाल है । इस तरीके से अगर आप एक करोड़ रुपये हर साल बांध दें तो दो हजार गांवों का पांच हजार का केपिटल हर साल बनेगा । अब सवाल पैदा होगा कि उस रुपये का बटवारा किस तरह से किया जाये । वहां पर गांव सभा बनेगी, एंटायर जो गांव का बालिग मताधिकार है, उस की एक सभा बनेगी और वह इस रुपये को बांटेगी । वह देखेगी कि किस को जरूरत है और किस को नहीं है । मेरा सुझाव यह भी है कि मान लीजिये कि पचास हजार का कैपिटल फार्मेशन हो गया तो उस में से आधा यानी २५,००० रुपया जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, उन को दे दिया जाए, ऐसी ऐसी चीजों पर दिया जाए जैसे है उस को गाय खरीद कर दे दी जाये, बकरी दे दी जाये, भैंस खरीद कर दे दी जाये जिस से कि ईजी रिटर्न हो सके, जल्दी रुपया वापस मिल सके । अगर ऐसा किया जाता है तो वह जल्दी रुपया अदा कर सकता है ।

हम देखते हैं कि आज हमारे सामने बेगारी का, भिखमंगों का भी प्रौब्लम है । ये कौन लोग हैं । ये गांव से ही तो आते हैं ।

जिन का गांवों में गुजारा नहीं होता है, जिन को वहां देखने वाला कोई नहीं है, वही तो शहरों में जा कर भीख मांगते हैं। अब अगर गांव सभा तय करे कि इस को एक गाय दे दी जाये, तो उस को गाय मिल जायेगी और वह कुछ नहीं तो कम से कम गाय को पाल पोस कर कुछ तो आमदनी करेगा और अगर कुछ नहीं तो उस का दूध तो पियेगा और दूध पीता रहेगा तो कम से कम मरेगा तो नहीं।

मेरी प्रार्थना है कि इस मसले को हम लोगों को एक दूसरे ही दृष्टिकोण से देखना चाहिये। अगर हम इस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे और पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ पया नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, गांव सभा नहीं बैठेगी और जब गांव सभा नहीं बैठेगी तो लीडरशिप भी कायम नहीं होगी। अगर आप रुपया देते है तो गांव सभा भी बैठेगी, अगर इन लोगों का पांच हजार का कैपिटल बन गया तो गांव सभा भी बैठेगी, संम् के तौर पर बैठेगी क्योंकि उस रुपये को बांटना है और वह जानती है कि ऐसा करना उस का हक है और इस तरीके से एक लीडरशिप भी कायम हो जायेगी, जिस की आज बहुत आवश्यकता है।

यह जो विधेयक आप लाये हैं, यह ठीक है। आपका इरादा इस में डेरी फार्मिंग और पिसीकल्चर को शामिल करने का है। इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर एग्रीकल्चर के नाम पर कितनी ही कार्यवाइयां होती हैं लेकिन वास्तव में खेतिहरों को जो रुपया खर्च करने की योजना बनती है, वह मिलता नहीं है या अगर मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। बहुत सा रुपया फूड एंड एग्रीकल्चर में खर्च होता हैं, दफ्तरों में खर्च होता हैं, तमाम जगहों पर खर्च होता है मगर एक्चुअली अगर देखा जाए तो खेतिहर को वह कहां पहुंच पाता है। यह बहुत शोचनीय दशा हमारे सामने है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस ओर कुछ ध्यान दे ताकि हमारे एग्रीकल्चरिस्ट खुद अपने पांव पर खड़े हो सकें। उस की अगर मदद की जाती है तो वह ठीक समय पर की जानी चाहिए। आजकल होता यह है कि रुपये की आवश्यकता तो उस को उस वक्त होती है जब वह कमौनी कर रहा होता है, वीडिंग कर रहा होता है मगर रुपया उस को उस वक्त पहुंचता है जब कटनी हो रही होती है। इस तरीके से काम नहीं चलता है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि इस सारी चीज पर दूसरे ही नुक्तेनजर से गौर किया जाये।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का जो ध्येय है कि किसनों को कर्ज मिले, उस का मैं समर्थन करता हूं। मगर इस के आफिस के ऊपर थोड़ा एतराज मैं करना चाहता हूं। हर चीज के दफ्तर तो दिल्ली में खुलते हैं लेकिन इस कारपोरेशन का दफ्तर बम्बई में खुल रहा है। यह शायद इसलिये है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बम्बई से आते हैं या फिर शायद बम्बई में एग्रीकल्चरिस्ट्स का ज्यादा फायदा हो सकेगा।

इस का कैपिटल २५ करोड़ का है जिस में दस हजार रुपये के शेयर होंगे और पांच करोड़ रुपये के पांच हजार शेयर पहले रिलीज होंगे। अब जहां तक २५ करोड़ का सम्बन्ध है, वह बहुत ही कम है। अगर आप इस देश के कल्टिवेटिड एरिया को देखें तो वह ३३५·७ मिलियन एकड़ है। अगर २५ करोड़ को उस में बांट दिया जाय तो बारह आने एकड़ पड़ते हैं। अगर यहां के किसानों की संख्या आप लें तो वह ३५ करोड़ ६६ लाख है। इस हिसाब से केवल ११ आने फी कल्टीवेटर पैसा मिल सकता है। अगर गांवों की संख्या को लें तो वह ५ लाख ५७ हजार ६८६ है और फी गांव पचास रुपये कर्ज की व्यवस्था हो सकती है। भारत का किसान टोटल इनकम का ४८·३ परसेंट देता है जो कि १५० मिलियन रुपये से भी अधिक है। उस के सुधार के लिये केवल २५ करोड़ रुपया दिया जाए, यह कहां तक उचित है। यह तो बहुत ही कम है। यह शून्य के बराबर है।

[श्री विश्राम प्रसाद]

किसान के नाम पर बहुत सी संस्थायें बनी हैं। बहुत सी कारपोरेशंज भी खोली गई हैं। अभी एक वेयरहाउसिंग कारपोरेशन मिनिस्ट्री आफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंडर बनी है। मगर किसान की हालत में क्या फर्क पड़ा है, यह तो जो किसान होगा या किसान की हालत को जिस ने देखा होगा या जो, किसानों में रहा होगा, वही बता सकता है, वही समझ सकता है। इस हाउस के मिनिस्टर्स को शायद बहुत कम इस का अहसास है। प्लानिंग के नाम पर विदेशों से बहुत सा रुपया अरबों रुपया किसानों की तरक्की के लिए लिया गया है। मगर इस के बावजूद भी किसान की हालत में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। जो १९५० में गरीबी अमीरी का फर्क १:११० था जब कि आज इस राम राज्य रूपी समाजवादी समाज की रचना में वह १:३२० हो गया है। अब यह दूसरा कारपोरेशन किसानों का दर्द दूर करने के लिये बना है। परन्तु पूरा बिल आप पढ़ें, कहीं भी नहीं लिखा है कि किसानों से क्या सूद की दर ली जायेगी, किस रेट पर उस को कर्जा मिलेगा। सिर्फ इस बिल के शुरू में एक लाइन और अन्त में यहां लिखा है।

"A Bill to provide for the establishment of a Corporation for granting medium and long term credit by way of refinance or otherwise, for the development of agriculture and for other matters connected therewith or incidental thereto.".

ऐसा मालूम होता है, कि पांच करोड़ तो रिजर्व बैंक का शेयर होगा और बीस करोड़ इस में बम्बई के सेठों का होगा। जिन के पास रुपया इफरात से पड़ा हुआ है वे इस में उस को जमा कर देंगे, एक दर उन को सूद की बराबर मिलती रहेगी। मुझे महसूस होता है कि बम्बई में इस का दफ्तर इसलिये खोला जा रहा है क्योंकि दस हजार रुपये का शेयर कोई भी किसान नहीं ले सकता है और उस को बम्बई के सेठ ही लेंगे।

अब आप बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की बात को देखें। किसानों का एक भी रिप्रेजेंन्टेटिव इस में नहीं है। भारत सरकार ने भारत कृषक समाज भी बनाया है जो बहुत बड़े पैमाने पर देश में काम करे। लेकिन उस का भी रिप्रेजेन्टेटिव, किसान का दर्द भरने वाला कारपोरेशन में नहीं रखा गया।

आडिट की बात भी आप देखें। कम्पनीज एक्ट, १९५६ के सक्शन २२६ के अनसार आडिटर को भी बोर्ड ही एप्वाइंट करेगा। पेज १४ पर तीसवां जो सैक्शन है वह इस प्रकार है :—

"The affairs of the Corporation shall be audited by any auditor duly qualified to act as auditor under sub-section (1) of section 226 of the Companies Act, 1956, who shall be appointed by the Board with the previous approval of the Reserve Bank and shall receive such remuneration from the Corporation as the Board may, with the approval of the Reserve Bank, fix:"

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : इसमें कौन सी बुरी बात है ?

श्री विश्राम प्रसाद : इस का मतलब यह है कि जिस आडिटर को बोर्ड एप्वाइंट करेगा वह उस के असर के अन्दर होगा। अगर सारी गवर्नमेंट के लिये जो आडिटर जनरल एप्वाइंटिड है वह आडिट करवाये तो गलतियों को पकड़ सकता है लेकिन जो प्रोविजन रखा गया है उस का मकसद यह है कि अपना आडिटर अपनी भलाई या बुराई को छिपा सकता है।

इस में यह भी कहा गया है कि कोई भी मुकदमा इस कारपोरेशन या डायरेक्टर्ज के खिलाफ नहीं चलेगा। चाहे नुक्सान कितना भी हो जाए, वह गुड फेथ में होगा। इसको

भी जरा ग्राप सुन लीजिये : यह पेज १७ पर है :—

No suit or other legal proceeding shall lie against the Corporation or any director or any officer of the Corporation or any other person authorised by the Corporation to discharge any functions under this Act for any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act."

इस का मतलब तो यह है कि ग्रगर उस में नुकसान भी हो जाय तो वह नुकसान भी गड फेथ में होगा। यह समझने की बात है शेग्रर होल्डर्स को जो डिविडन्ट मिलेगा उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टक्श ऐक्ट, १६६१ के सैक्शन ८६ के ग्रनुसार उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा ग्रौर जो रुपया बड़े बड़े ग्रादमियों के पास फंसा हुग्रा है, उस को भी वह बराबर बढ़ाते रहेंगे। उन के लिये सब कुछ टैक्स फ्री रहेगा। ग्राप इस चीज को भी सुन लीजिये :

"Any sum paid by the Central Government under the guarantee given in pursuance of section 6 or, under any guarantee given in pursuance of sub-section (1) of section 20 or sub-section (2) of section 21 shall not be treated as the income, profits and gains of the Corporation, and any interest paid by the Corporation on debentures or bonds or on foreign currency borrowed under sub-section (1) of section 21 out of such sum shall not be treated for the purpose of income-tax or super-tax as expenditure incurred by it."

इसलिये उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा।

इसके बाद ग्राप इंटरेस्ट की बात को देखिये। मौजूदा रिजर्व बैंक या कारपोरेशन जो है वह दूसरे छोट छोटे बैंकों को, कोग्रापरेटिव ग्रौर मागज बैंकों को २॥ प्रतिशत सद पर कर्ज देते हैं, लेकिन वे किसानों को ६ प्रतिशत पर देते हैं। टाटा ग्रौर बिड़ला को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है लेकिन छोटे किसान को ६ प्रतिशत पर दिया जाता है, जो कि इस देश की ग्राध से ज्यादा ग्रामदनी करता है।

ग्रब ग्राप यह भी देख लें कि इस व्यवस्था में किसानों को कैसे कर्ज मिलेगा। इस देश के किसानों में जो लोग एक एकड़ से कम का खेत जोतते हैं उन की संख्या २६ मिलियन है, यानी ४२ परसेन्ट। चूंकि उन की प्रापर्टी ज्यादा नहीं होगी, इसलिये उन को कर्ज नहीं मिल सकता। एक से पांच एकड़ तक जोतने वालों ी संख्या १८ मिलियन है, यानी २६ं१ परसेन्ट, पांच से दस एकड़ तक जोतने वालों की संख्या ८ं८ मिलियन है, यानी १४ं२ परसेन्ट। इसी तरह से १०० एकड़से ज्यादा की जोताई करने वालों की संख्या बहुत कम है। इस तरह के कुल ं२ परसेन्ट कल्टिवेटर्स हैं। जिस तरह ग्रौर डिपार्टमेंट्स लोन देते हैं, जैसे कि प्लैनिंग विभाग है, जो कि लोन देता है, कोग्रापरेटिव सोसायटीज लोन देती है, ग्रगर उसी तरह से रिफाइनेन्स कारपोरेशन के ग्रन्दर भी किया जाता है तो उस से किसान को कौन सा ग्रधिक फायदा होगा ? ग्रगर रुपया देना है तो उस को संस्था से सीधी क्यों नहीं दिया जाता है ? ग्रगर दरग्रस्ल देश की तरक्की करनी है, जैसा कि प्लानिंग विभाग कहता है कि एक एकड़ की सिंचाई से ६ मन गल्ला प्रति एकड़ बढ़ता है, तो इस देश की कुल ३३५ं७ मिलियन एकड़ खेती योग्य भूमि में से ५७ं६ मिलियन एकड़ को छोड़ कर, जिसकी सिंचाई होती है, बाकी जमीन की ग्रच्छी सिंचाई की व्यवस्था करें, ताकि यहां की पैदावार बढ़ाई जा सके। ग्रगर ग्राप को दरग्रस्ल किसान की मदद करनी है तो उस के लिये ग्राप सस्ते दाम पर खाद की व्यवस्था करें। ग्राप उस के केटल का इम्प्रूवमेंट करें, कर्जे के सूद की दर को कम करें, ग्रौर कर्ज को दिलाने में कुछ ढीलापन करें। ग्राज तो किसान को २०दफा तहसील, कानूनगो

[श्री विश्राम प्रसाद]

श्रौर पटवारी के पीछे दौड़ना पड़ता है। इसलिये उस के कर्ज लेने में ढ़ीलापन हो। जैसा मैं ने बतलाया, ४२ प्रतिशत किसान उन लोगों म से हैं जिन के पास एक एकड़ से कम जमीन है श्रौर २६ प्रतिशत लोग वे हैं जिन के पास एक एकड़ से ले कर पांच एकड़ तक है। श्रगर उन को कर्ज लेने में ढ़िलाई नहीं दी गई तो उन को कर्ज नहीं मिल सकेगा।

श्राज हर जगह पर फैवरिटिज्म चलता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी बड़े बड़े लोगों को ही कर्ज मिलता है, जो लोग दरश्रसल जमीन को कल्टिवेट करते हैं उन को नहीं मिलता। इसलिये मैं चाहता हूं कि कर्ज के मामले में कुछ ढ़ीलापन हो श्रौर दूसरे लोगों के साथ फैवरिटिज्म न हो।

मैं चाहता हूं कि इस कारपोरेशन में किसानों का रिप्रेजेन्टेटिव जल्द होना चाहिये श्रौर कर्ज बिजिनेस के लिये न दिया जाये।

श्रन्त में मैं यही कहूंगा कि किसानों के नाम पर बहुत सी संस्थायें बनती हैं, लेकिन किसानों के नाम की माला पहन कर उसका खून चूसने वाले बिल से किसानों की श्रार्थिक दशा में न सुधार हुश्रा है श्रौर न होगा।

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): I wholeheartedly support this Bill. I am very happy that a Refinance Corporation is being set up in furtherance of the cause of agriculturists in the country.

From what I have heard of the speeches made so far on this Bill, I feel that mostly those hon. Members have either not read the Bill altogether or have not had the time to understand its implications. The position is made very clear. We are already committed to the promotion of co-operatives. Today we have in the country co-operative societies at the lower level. We have co-operative banks which give credit to the co-operative societies. Very recently, land mortage banks also came into existence. At the moment, they are providing short-term, medium-term and in certain cases, long-term credit to people, mostly agriculturists.

With the limited finance at the disposal of these bodies, the need has been felt for a financing agency to help these financing institutions at the village, town or district level so that they are able to raise more finances in order to meet the rising demand of today. We must not forget that land-mortage banks have functioned mostly as aids for the development of land. In this direction, a number of steps have been taken in the past. Thousands and thousands of acres of land have become fit for bringing under the plough, because of setting up of river velley projects; minor, medium and major irrigation works have been undertaken and a lot of land has come under cultivation. Thus these agencies have improved the potential for more and more production.

Today our attempt is to improve our agricultural production both by extensive as also by intensive methods. So far as extensive methods are cerncerned, perhaps there may not be left very much scope in the country. Today expert advice available on the subject is to the effect that by intensive methods India can produce much more than she is doing today.

Agriculture is the number one industry in the country. It is the backbone of our economy. It is also the mainstay as far as the employment factor is concerned. So it is the primary duty of the Government, whether State or Central, to help the agriculturists maintain their agricultural pursuits and also improve their production as far as possible. My feeling is that some of my hon. friends have not understood, in the right sense of the term, these institutions which have come to stay, like co-operative societies, co-operative banks

and land-mortage banks. In order to make more finance available to these institutions, one institution is being set up which can create opportunities for financiers. The position has been made very clear as to who would finance it, who would purchase the shares. The already existing institutions will go as near the agriculturists as possible and finance their requirements. It is not possible for one institution like a Refinance Corporation to go as near the agriculturists as possible. This is almost on the same lines as the Industrial Finance Corporation. I have been dealing with that for some time and I know how such finance corporations have been helpful in providing finance to industries.

In the light of this, this Refinance Corporation is a very welcome step because it will enable the existing financing institutions providing agricultural credit like co-operative societies, co-operative banks and land-mortgage banks to raise more finance to the extent necessary.

Certain doubts have been raised by some of my hon. friends. They should know that these institutions have to function under the co-operative law. Under that law, no bank can borrow more than 20 times of its paid-up capital. The more you raise the paid-up capital the more borrowing capacity you create. Therefore, within that amount you have to meet the requirements in your respective areas. Now that the tempo of co-operation is rising in the country, in the rural areas we should expand as much as possible co-operative effort and set up co-operative banks, and then finance will be available.

Keeping in view all the methods that are being adopted to improve our agriculture, by intensive and extensive measures, I feel it is a welcome step that this Refinance Corporation is being set up. Therefore, I welcome the Bill and congratulate the Ministry on it.

Shri Malaichami (Periyakulam): When we take into consideration the manner in which agriculture is being carried on in the country, we can very easily understand the importance of this Bill.

Agriculture being a country-wide occupation, it differs from State to State. When sowing is being done in one area, we can see harvesting being done at the same time in a different area. So, to finance agriculture on a country-wide scale, it is necessary that credit institutions must exist country-wide to serve the villages then and there. So, our leaders thought it proper to organise co-operative credit societies, and naturally there must be some central institution to finance these institutions.

As a first step, we had State co-operative institutions. The Reserve Bank helped them to an extent by short and medium term loans, but that has not been enough. Long-term needs of agriculture are yet to be met by these institutions; even short and medium term facilities provided by them are not sufficient. So, a central institution is necessary to bridge this gap.

In the context of the present emergency, we have to think of developing agriculture extensively and intensively. The difficulties of the agriculrists are two-fold. On the one side there is fragmentation of holdings, on the other hand they are short of credit facilities. We have to improve agriculture on a scientific basis, and for that adequate finance is necessary.

To overcome fragmentation, we have been thinking of co-operative farming either on joint farming or a collective farming basis. In adidtion, we have to take up land reclamation work. These are long-term operations and therefore long-term credit is required. The irrigation potential of the country has also to be further developed. For meeting all these needs, a central institution like the

[Shri Malaichami]

one contemplated with a large capital is necessary. Only then we can increase the productivity of the land.

Apart from crops, plantations like coffee, cardamom, rubber, tea, cocoanut etc., also require long-term credit as it takes from five to seven years for them to give results.

For all these reasons, I welcome the corporation contemplated and support the Bill.

Shri Basappa (Tiptur): I congratulate the Ministry on bringing forward this Bill. I am speaking on this Bill just to impress on the Government the need for the development of coffee plantations, particularly in the State from which I come.

In your constituency, Sir, large plantations of coffee exist. You and I come from the same district, Chikmagalur District. I represent only a small part of the district, called the *maidan*, in which not much coffee is grown, but in your constituency there is a lot of coffee grown. Though you represent more than your constituency occupying your seat there, you are perhaps not able to express here the needs of the area for getting help from a corporation like this. Its needs are very urgent.

The need of a refinance corporation in the rural areas, where there is great financial stringency, cannot be over-emphasized. That has to be strengthened; the financial structure of the rural economy must be put on a sound footing. Now, this product brings in a lot of foreign exchange. What are the needs of this industry? It has to be looked into. The Coffee Board gives some small loans but there are so many encumbrances for that. So, they are not able to establish these plantations on a firm footing. Even the labour housing scheme has not gone through, not to speak of the development programme for the coffee industry. When this Corporation comes into being, this industry must be assisted. The necessity and urgency of this measure has already been emphasised at a time when we need all our resources for defence purposes. A corporation of this sort would be wholesome. Long-term loans and larger loans are needed. The rural credit survey committee has estimated our requirements but we are not able to give the amount needed to improve agriculture in the country. This Corporation may start with Rs. 5 crores but it may go up to Rs. 25 crores and ultimately even Rs. 500 crores whereby a larger number of people can benefit more. Many more orchards have to be laid; field channels and irrigation facilities are needed. Conservation of soil, land reclamation, etc. require huge amounts spread over a long period which can be met by this type of corporation. There may be one or two adverse comments by people who do not know much about these matters. But if we start with Rs. 5 crores, we can extend the scope of this Corporation and ultimately go even to Rs. 500 crores. We may get about Rs. 60-70 crores from P.L. 480 funds. It is not a small sum. It is going to advance money directly to the co-operatives. It is a refinance corporation for the other agencies. It is a good thing and I welcome it.

श्री तुलशी दास जाधव (नांदेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन बिल है उस का मैं स्वागत करता हूं । इस को सपोर्ट करते हुए आज एग्रीकल्चरिस्ट्स को जो दिक्कतें पैदा होती हैं उन को मैं सक्षेप में हाउस के सामने रखना चाहता हूं ।

वे काश्तकार जिन को कि लैंड मोर्टगेज बैंक, सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक और दूसरी सहकारी संस्थाओं की तरफ से कर्जा मिलना होता है, अब मुश्किल उस में यह है कि उस की खेती के ऊपर सोसायटी का अगर थोड़ा भी कर्जा होता है तो लैंड मार्टगेज बैंक उस को कर्जा

नहीं देता है। अगर थोड़ा सा भी कर्जा उस के ऊपर हो तो दूसरा कर्जा उस को नहीं मिलता है। अब आजकल के हालात में ९९ परसेन्ट काश्तकारों के ऊपर कर्ज रहता है और अगर इस बिना पर दूसरे कर्जे उसे नहीं मिलें तो फिर यह कारपोरेशन कायम करने से क्या फायदा होगा, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिये।

लैंड मार्टगेज बैंक के पास पैसा पड़ा है। उन्होंने अभी थोड़े ही दिन पहले हमें खत भेजा कि हमारे पास एग्रीकल्चारस्ट्स के लिए पैसा है और उस को कोई लेता नहीं है। इस बारे में मैं ने जब इन्क्वायरी की तो मालूम हुआ कि किसान तो पैसा लेना चाहते हैं, बैंक में पैसा पड़ा भी हुआ है लेकिन चूंकि वह कर्जा सोसायटी से लिये हुए है इसलिये उन को बैंक से कर्जा नहीं मिल सकता है।

इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एंड रीजन्स और फाइनेन्शियल मैमोरेंडम में मैंने देखा कि एग्रीकल्चर के लिये जो पैसा निकाला था वह उस काम पर खर्च न होने से इंडस्ट्री पर खर्च किया गया। अब एग्रीकल्चर की यह हालत होती है। जिन के लिए पैसा निकाला जाता है उन तक वह पहुंचता ही नहीं है। इसलिये अगर खेती की पैदावार बढ़ाना हो, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना हो और काश्तकार जो कि कर्ज के अन्दर डूबे हुए हैं उन को उबारना हो तो उन के पास पैसा किस रीति से चला जाय इस का उपाय सोचना होगा।

अभी देखा जाय तो जो काश्तकार हैं और उन के साथ जो खेतिहर मजदूर हैं उन की हालत तो और भी बदतर है और वे कर्ज के नीचे बुरी तरह दबे हुए हैं। एग्रीकल्चरल लेबर इन इंडिया, एडिटेड बाई श्री वी० के० आर० वी० राव, (१९६२ के पेजेज २९–३० पर जो लिखा है उस को देखने से मालूम होता है कि १९५०–५१ में ४५ परसेंट एग्रीकल्चरल लेबरर कर्ज के नीचे दबे हुए हैं जब कि कि १९५६–५७ में ६४ परसेन्ट दबे हुए हैं। ४५ रसेन्ट से ६४ परसेन्ट लोग कर्ज के नीचे दबे मिलते हैं। उसके बाद The average accumulated debt per household was Rs. 47 in 1950-51 and Rs. 88 in 1956-57. After that if the indebted households themselves were taken into consideration the average debt for All India was Rs. 105 in 1950-51 and Rs. 138 in 1956-57.

The total estimated volume of indebtedness of agricultural labour households in 1956-57 was Rs. 143 crores as against Rs. 80 crores in 1950-51.

Of the total debt about 46 per cent was incurred for meeting consumption expenditure, social purposes accounted for 24 per cent, and productive debt for 19 per cent.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may continue his speech next time.

15.59 hrs.

MOTION RE: MAINTAINING PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES AT REASONABLE LEVELS—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: We will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Indrajit Gupta on the 11th December, 1962 namely:—

"That this House takes note of the statement laid on the Table of the House on the 10th November, 1962, by the Minister of Planning and Labour and Employment on measures for maintaining prices of essential commodities at reasonable levels."

Shri Nanda may continue his speech.

The Minister of Planning and Labour and Employment (Shri Nanda): Mr. Deputy-Speaker, when the House